Mohali resident held with heroin

TRIBUNE NEWS SERVICE

CHANDIGARH, JUNE 6

A resident of Mohali has been arrested with heroin.

According to the police, the Crime Branch officials arrested Jasvir Singh, a resident of Hulka village in Mohali district, with 25 gram of heroin. The accused was arrested near the CRPF campus close to the ISBT, Sector 43. A case under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act has been registered against the accused at the Sector 36 police station.

Meanwhile, in another case, Sharanjit Singh, a resident of Badmajra village in Mohali district, was caught with 26 banned injections. The accused was arrested near the Maloya turn.

A case under the NDPS Act has been registered at the Maloya police station.

CHANDIGAR

Two held guilty for abducting, raping minor

EXPRESS NEWS SERVICE
CHANDIGARH, JUNE 6

THE DISTRICT court of Chandigarh on Wednesday held two persons guilty of abducting and raping a 15-year-old girl in 2017.

The quantum of sentence will be pronounced by the court of Additional District and Sessions Judge Poonam R Joshi on Thursday.

According to police, the convicts, Salman, a resident of Uttar Pradesh, and Ganga Kumar, alias Sonu, of Faidan village, Chandigarh, were arrested on November 5, 2017, on the basis of a complaint lodged by the victim.

The victim, who hails from Himachal Pradesh, had told the police that she knew Salman who came to her native place and asked her to come along to Chandigarh with him in November 2017, luring her with good clothes. The victim then came to Chandigarh along with Salman who kept her confined in a room where he raped her for four days. He also called his friend who raped her as well.

The victim had also told the police that the accused also used to beat her with stick. She somehow manage to escape and narrated the incident to a passerby, seeking help from him. The man then called the women helpline, which informed the police about the incident.

Acting on the statements of the victim, the police arrested the accused and booked them under sections 363 (kidnapping) and 376 (rape) of the Indian Penal Code and sections 4 and 6 of the Protection of Children under Sexual Offences Act.

Meanwhile, during the trial, the defence counsel argued that it was not a case of kidnapping. However, after hearing the arguments and going by the evidence of the case, the court held the accused guilty on Wednesday.

The Indian EXPRESS epaper editions Thu, 07 June 2018
epaper.indianexpress.com/c/29305567

Cab driver arrested for 'molesting' girl, gets judicial remand

EXPRESS NEWS SERVICE
CHANDIGARH, JUNE 6

A CAB driver was arrested for allegedly molesting a girl at the Tribune roundabout late on Tuesday night. According to police, the accused have been identified as Narender Kundu, a resident of Pabra village in Barwala, Hisar, Haryana.

He was produced in court on Wednesday and remanded in judicial custody.

The complainant, a student of BEd (Bachelor of Education), told police that she had gone to Delhi to inquire about a coaching institute and then she hired a share cab to return to Chandigarh. She sat in the front as six passengers were already there at the back. When the cab reached Chandigarh, only three passengers were left along with the victim. The three got off at Hallomajra around 11 pm and then the victim, who had to go till the Tribune roundabout, was alone in the cab. Since the Tribune roundabout was just two kilometres away, the victim booked a Uber cab from her cellphone to go home after getting off the share cab.

The cab driver, finding the victim alone, allegedly began to molest her after locking the cab. When the cab driver slowed down at the zebra crossing near the roundabout, the girl somehow managed to open the lock and get off. The Uber cab booked by

The cab driver, finding the victim alone, allegedly began to molest her after locking the cab. When the cab driver slowed down at the zebra crossing near the roundabout, the girl somehow managed to open the lock and get off

her was also following the offending cab. The Uber driver stopped the Ertiga cab at the Tribune Chowk. The victim then raised an alarm and also called her brother. Fearing trouble, the accused driver fled leaving the cab behind.

A complaint was then lodged by the victim with the police and a case was registered under section 365 (kidnapping or abducting with intent secretly and wrongfully to confine person) and 354 (assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty) of the Indian Penal Code at Sector 31 PS.

Inspector Jaswinder Kaur, the SHO of Sector 31 PS, said the accused had been driving the share cab on the Delhi-Chandigarh route for the past four years. Police arrested him by tracing his vehicle number and his credentials. The accused Kundu was arrested near the Tribune roundabout.

The Indian EXPRESS
epaper editions
Thu, 07 June 2018
epaper.indianexpress.com/c/29305388

गैंगस्टर-तस्करों पर खाकी का 'प्रबल प्रहार'

ऑपरेशन के अंतर्गत 68 कुख्यात गिरफ्तार

चंडीगढ़/पंचकूला, 6 जून(नस)

एक राज्य से दूसरे राज्य में दौड़ रहे गैंगस्टर हरियाणा पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। इन गैंगस्टरों के सफाए के लिए पुलिस ने हरियाणा में ऑपरेशन ' प्रबल प्रहार' आरंभ किया है। इस स्पेशल ऑपरेशन के अंतर्गत पुलिस ना सिर्फ प्रदेश में नशे के कारोबार का सफाया करने में जुटी है बल्कि कुख्यात अपराधियों से मादक पदार्थों के पीछे देश और विदेशी हाथों का पता लगा रही है। हरियाणा पुलिस ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत कुछ ऐसे ही 68 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पंचकूला में नाइजीरियन गैंग का पर्दाफाश करने वाले एसपी हामिद अख्तर को यह कामयाबी मिली है। अख्तर ने इस ऑपरेशन को लीड करते हुए मादक पदार्थों का भारी जखीरा भी बरामद किया है। सिरसा पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाये जा रहे आप्रेशन 'प्रबल प्रहार' के तहत पिछले 40 दिनों की अवधि के दौरान 46 अभियोग दर्ज कर 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

युवाओं को खोखला करने की साजिश

हरियाणा पुलिस के डीजीपी का मानना है कि मादक नशों में हो रही लोगों की गिरफ्तारियों में अधिकतर युवा शामिल रहते हैं। पकड़े गए लोगों के कब्जे से 12 किलो 180 ग्राम अफीम, 2 किलो 442 ग्राम व 543 मिली ग्राम हेरोईन, 48 ग्राम 500 मिली ग्राम स्मैक, 1454 किलो 820 ग्राम चूरा पोस्त, 51 हजार 572 प्रतिबंधित नशीली गोलियां, 2000 नशीले कैप्सूल, 103 बोतल नशीली प्रतिबंधित दवाई, 638 ग्राम नशीला पावडर व 4 किलो 60 ग्राम गांजा बरामद किया है।

दैनिक ट्रिब्यून Thu, 07 June 2018
epaper.dainiktribuneonline.cc

अपने ही घर से लाखों की ज्वैलरी व कैश चुराने वाला दबोचा

पकड़ा गया आरोपी पुलिस की गिरफ्त में।

चंडीगढ (लूना): डड्डू माजरा में अपने ही घर से लाखों की ज्वैलरी व कैश चुराने वाले आरोपी को मलोया थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान गुरविन्द्र सिंह उर्फ घग्गी के रूप में हुई है। आरोपी के पिता अमरीक सिंह की शिकायत पर मलोया थाना पुलिस ने 30 मई उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 380 के तहत केस दर्ज किया था। मलोया थाना प्रभारी बलदेव कुमार ने कहा कि आरोपी को वीरवार जिला अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी। डड्डूमाजरा के मकान नंबर-90 निवासी अमरीक सिंह ने बताया कि 27 मई को उनका बेटा गुरविन्द्र सिंह उर्फ घग्गी उनके घर से चोरी कर फरार हुआ था। उन्होंने पुलिस को दिए बयानों में कहा था कि उनके घर से उनका बेटा सोने का एक कड़ा, छह सोने की अंगुठियां, एक सेट, दो अंगुठियां, सोने की दो चेन के अलावा 20 हजार रुपए कैश चोरी कर फरार हुआ था। अमरीक सिंह ने बेटे की बुरी संगत के चलते उसे घर से भी बेदखल किया हुआ था। वहीं इंस्पैक्टर बलदेव कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने चोरी हुए सामान में से कुछ सामान रिकवर कर लिया है। उनका कहना है कि वीरवार को अदालत से पुलिस रिमांड हासिल करने के बाद आरोपी की निशानदेही पर बाकी का सामान भी रिकवर कर लिया जाएगा।

Dainik Savera Dt: 07/06/2018

कुत्ते ने बच्चे को काटा मालिक हुआ गिरफ्तार

कुत्ते के काटने के बाद से बच्चे के मुंह से निकल रहे झाग

डॉक्टरों के पास इलाज के लिए भटक रहा मजबूर पिता

मनीमाजरा। विकास नगर निवासी अमित को काटने वाले कुत्ते के मालिक संदीप सैनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिता चंदन का दावा है कि अमित के मुंह से झाग निकल रहे हैं, उसे अस्पतालों में भटकना पड़ रहा है।

घायल बच्चा।

चंदन ने बताया कि 21 मई को जब उनका बेटा बाहर खेल रहा था, तब पड़ोसी संदीप के पालतू कुत्ते ने उसे काट लिया। वह बेटे को लेकर तत्काल जीएमसीएच 32 में लेकर गए और इंजेक्शन लगवाया। इसके बाद इसी कुत्ते ने 30 मई को फिर से अमित को काट लिया। इसके बाद से उसकी हालत खराब है। थाना प्रभारी कपिल देव ने बताया कि पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि बच्चे को दो बार इंजेक्शन लगने के कारण शरीर में इंफेक्शन हो गया है। असल में चंदन ने दूसरी बार इंजेक्शन लगवाते समय पहले लग चुके इंजेक्शन की बात डॉक्टर को नहीं बताई। चंदन का दावा है कि इंजेक्शन लगवाने के करीब एक सप्ताह बाद मंगलवार को बच्चे के मुंह से झाग निकलते देख वह घबरा गए और उसे लेकर जीएमसीएच 32 में पहुंचे। यहां से उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया। उधर, पीजीआई ने बच्चे को मोहाली ले जाने को कह दिया।

पिता बेटे को लेकर पहुंचे तो वहां से फिर पीजीआई के लिए रेफर कर दिया। जब कहीं इलाज नहीं मिला तो बुधवार सुबह पिता उसे पिंजौर ले गए। इसके बाद दोपहर को कसौली के अस्पताल में ले गए। वहां से इलाज के बाद शाम को विकासनगर लौटे चंदन ने बताया कि वहां भी डॉक्टरों ने सलाह दी है कि बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना होगा। अब वह फिर वीरवार को अस्पताल जाकर भर्ती करने की गुहार लगाएंगे।

Amar Ujala Dt: 07/06/2018

दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंची छात्रा से कैब में छेड़छाड़ आरोपी चालक गिरफ्तार

अमर उजाला ब्यूरो

हल्लोमाजरा लाइट प्वाइंट से ट्रिब्यून चौक के बीच गाड़ी लॉक कर करता रहा छेड़छाड़

छात्रा के शोर मचाने और परिजनों को सूचना देने पर गाड़ी छोड़कर भाग निकला था

चंडीगढ़। दिल्ली से अर्टिगा कैब (एचआर10एए-7232) बुक कर मंगलवार रात चंडीगढ़ पहुंची पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्रा को अकेला पाकर कैब चालक ने छेड़छाड़ शुरू कर दी।

शोर मचाने पर आरोपी कैब चालक ने कार लॉक कर दी और हल्लोमाजरा चौक से ट्रिब्यून चौक तक छात्रा से छेड़छाड़ करता रहा।

ट्रिब्यून चौक पर पहुंचने पर छात्रा ने जैसे-तैसे गाड़ी का लॉक खोला और बाहर निकलकर शोर मचाया। इसके बाद वहां लड़की का इंतजार कर रहे उबर कैब चालक ने आरोपी अर्टिगा कैब चालक का विरोध शुरू कर दिया। इसी बीच छात्रा ने परिजनों को सूचना दे दी। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इस बीच आरोपी कैब चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी कैब चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। जांच-पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपी कैब चालक को धर दबोचा।

जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ निवासी पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्रा दिल्ली स्थित एक इंस्टीट्यूट में कोचिंग प्रक्रिया की जानकारी लेने के लिए छात्रा मंगलवार को दिल्ली गई थी। वहां से वापस चंडीगढ़ आने के लिए उसने अन्य लोगों के साथ शेयरिंग में अर्टिगा टैक्सी कैब हायर कर ली। कैब में छात्रा के अलावा सात अन्य लोग सवार थे। कैब में सवार अन्य सभी सवारियां रात करीब साढ़े दस बजे हल्लोमाजरा लाइट प्वाइंट पर उतर गईं लेकिन छात्रा ने ट्रिब्यून चौक से घर तक जाने के लिए उबर कैब बुक कराई थी। इसलिए उसने चालक से ट्रिब्यून चौक तक छोड़ने को कहा। इसके बाद कैब चालक ने छात्रा को अकेला पाकर हल्लोमाजरा चौक से निकलते ही छेड़छाड़ शुरू कर दी। लड़की के विरोध करने पर आरोपी ने कार को लॉक कर दिया और छात्रा के विरोध के बावजूद ट्रिब्यून चौक तक उससे छेड़छाड़ करता रहा।

छात्रा ने जबरन खोला गाड़ी का लॉक

ट्रिब्यून चौक पर कैब नहीं रोकने पर छात्रा ने जद्दोजहद कर जैसे-तैसे गाड़ी का लॉक खोल लिया और नीचे उतरकर शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर ट्रिब्यून चौक पर इंतजार कर रहा उबर कैब चालक अर्टिगा कैब के पास पहुंचा और आरोपी चालक का विरोध करने लगा। वहीं छात्रा ने घटना की सूचना अपने भाई को दी और भाई ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। छात्रा के परिजनों और पुलिस के पहुंचने की भनक लगने पर आरोपी चालक गाड़ी को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। थाना-31 पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर फरार आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। थाना-31 पुलिस ने मौके पर मिली आरोपी की उक्त अर्टिगा कैब नंबर के रजिस्टर्ड पते की जांच सहित अन्य कैब चालकों से पूछताछ की। कुछ कैब चालकों के आरोपी की पहचान उजागर करने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान बरवाला के गांव पबरा निवासी 32 वर्षीय नरेंदर कुंडू के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

गिरोह का दूसरा सदस्य भी गिरफ्तार

चंडीगढ़, 6 जून (संदीप) : लाखों रुपए का

लालच देकर बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए आने वाले लोगों से उसके पैसे ठगने के माम्ले में पुलिस गिरोह के दूसरे सदस्य को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान दिल्ली निवासी इनेश के तौर पर हुई है। पुलिस ने उसे जिला अदालत में पेश किया। व्हां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने इनेश को पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी विवेक की निशानदेही पर काबू किया है। आरोपी दिल्ली से कार में चंडीगढ़ आते थे और वारदात करके वापस चले जाते थे।

Punjab kesri Dt: 07/06/2018

बुड़ैल जेल ब्रेक केस के आरोपी का पनाहगार 25 ग्राम चिट्टे सहित गिरफ्तार

चंडीगढ़, 6 जून (मनोज) : बुड़ैल जेल ब्रेक केस के आरोपी आंतकी परमजीत सिंह भ्यौरा के पनाहगार जसवीर सिंह को क्राइम ब्रांच की टीम 25 ग्राम चिट्टे सहित गिरफ्तार किया है। उसपर आंतकी परमजीत सिंह भ्यौरा के बुड़ैल जेल से फरार होने के बाद पनाह देने का आरोप था। जसवीर सिंह बनुड़ के गांव हुलका का रहने वाला है। आरोपी को जिला अदालत में पेश किया गया। जहा से उसे 1 दिन के पुलिस रिमाड़ पर भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार क्राइम ब्राच की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि आंतकी परमजीत सिंह भ्योरा को पनाह देने वाला आरोपी नशीला पदार्थ लेकर चंडीगढ़ सैक्टर-43 की तरफ जा रहा है। सूचना मिलने के तुरंत बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने सफेद रंग स्विफट गाड़ी नंबर-पीबी-11बीटी3728 को रोककर उसकी तलाशी ली तो चालक के पास से 25 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी पर पंजाब में एनडीपीएस और आर्म एक्ट के 10 मामलें दर्ज : क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए गए जसवीर सिंह पर पंजाब में एनडीपीएस और आर्म एक्ट के 10 माम्लें दर्ज है। हालाकि में वर्ष 2010 में भी उसपर एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। अब चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसपर 25 ग्राम चिट्टे का 11वा मामाल दर्ज किया है। सूत्रों के अनुसार पंजाब में दर्ज 10 मामलों में से आरोपी 7 मामलों में बरी हो चूका है। 2014 में तिहाड़ जेल से हुआ रिहा, उसके बाद चलाने लगा नशे का कारोबार : जसवीर सिंह वर्ष 2006 से 2014 तक तिहाड़ जेल में बंद रहा, तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद उसने नशे का कारोबार शुरू कर लिया। इस कारोबार में उसने मोटी कमाई की है।

Dainik Savera Dt: 07/06/2018